सिन्धी भाषा व साहित्य विकास के लिए बढ़ाएं गतिविधियां: देवनानी

सिन्धु शोधपीठ की बैठक आयोजित

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी भाषा एवं साहित्य का एक विपुल इतिहास रहा है। भाषा, वर्तनी एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से सिन्धी सभ्यता बेहद समृद्ध है। इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की सिन्धु शोध पीठ अपनी गतिविधियों को और बढ़ाए तथा आमजन तक पहुंचाएं।

सिन्धी भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद नई दिल्ली एवं महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की सिन्धु शोध पीठ के बीच हुए एम.ओ.यू. के प्रावधानों के तहत गठित निगरानी समिति की बैठक शनिवार को सम्पन्न हुई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय सिन्धी भाषा विकास परिषद के विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में भाग लिया। कुलपति प्रो. अनिल शुक्ला ने बैठक की अध्यक्षता की।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैठक ली।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि सिन्धी भाषा का एक समृद्ध एवं विपुल इतिहास रहा है। हमे इस भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। सिन्धु शोध पीठ अपनी गतिविधियों का और अधिक प्रचार-प्रसार करे।

उन्होंने कहा कि सिन्धु शोध पीठ अपना नियमित कैलेण्डर बनाए। इस कैलेण्डर में वर्ष भर की गतिविधियां शामिल हो। इन गतिविधियों से आमजन को जोड़ा जाए। अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर सिन्धु शोध पीठ अपनी गतिविधियों का आयोजन करे। सिन्धु शोध पीठ अपनी नियमित पुस्तिका का प्रकाशन करे। इसमें विषय विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित किए जाएं। महापुरूषो से सम्बन्धित लेखों का प्रकाशन हो। सिन्धु शोध पीठ में खाली पड़े पदों को यथा शीघ्र भरा जाए।

बैठक में कुलपति प्रो. अनिल शुक्ला, निदेशक सुभाष चन्द एवं विशेषज्ञों ने अपने सुझाव रखे। इनमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल पठन-पाठन, आयोजन तकनीक का उपयोग, सक्रियता बढ़ाने एवं अन्य सुझाव शामिल रहे। बैठक में रजिस्ट्रार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यशाला आयोजित

शाहपुरा, (निसं)। प्र.सिं.बा. राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में प्राचार्य डॉ. पुष्करराज मीणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण माह पर कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला के विषय की भूमिका कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी प्रो. तोरन सिंह ने प्रस्तुत करते हुए बताया कि हमें बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती महिलाएँ एवं धात्री महिलाएँ के पोषण पर ध्यान देना होगा तभी जाकर सही पोषण और देश रोशन हो सकेगा।

प्राचार्य डॉ. पुष्करराज मीणा ने स्वयंसेवकों को बताया कि पोषण से सम्बन्धित हमें जनजागृति लानी होगी इसके लिए महाविद्यालय स्तर पर पोषण पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित करेंगे साथ ही बताया कि सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से आयरन की गोली एवं वर्ष में दो बार एल्बेण्डाज़ोल की गोली लेनी चाहिए और खाना खाने से पहले एवं शौच जाने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए और व्यक्तिगत साफ-सफाई और स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. हंसराज सोनी ने पोषण से सम्बन्धित प्रधानमंत्री पोषण योजना, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की विस्तृत जानकारी दी।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 27.08.2024

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गणनायक मार्बल्स, बोरावड भागीदारी पंजीयन सं. 17/20/2009/61 में दिनांक 29.04.2024 से निम्न परिवर्तन हुआ है - मैसर्स गणनायक मार्बल्स के साझेदार श्री भंवर लाल पुत्र श्री मांगु राम व श्री विजय सिंह राजपुरोहीत पुत्र श्री भंवर लाल राजपुरोहीत साझेदार फर्म से रिटायर हो गये है । तथा श्री अमीत पुत्र श्री हिम्मत सिंह, श्री रवि राजपुरोहीत पुत्र श्री बहादुर सिंह राजपुरोहीत, श्रीमति सुनिता राजपुरोहीत पत्नी श्री नरपत सिंह राजपुरोहीत उक्त फर्म में साझेदार के रूप में यथावत रहे है । जिसके सबंध में साझेदारी विलेख में आवश्यक परिवर्तन सभी पक्षकारो की सहमति से कर दिया गया है। यह सूचना जनता के लिए प्रकाशित है। किसी को कोई एतराज हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, नागौर में अपनी आपत्ति 7 दिनो के अन्दर अन्दर दर्ज कराये ।

मैसर्स गणनायक मार्बल्स, बोरावड
भागीदार

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

न.नि.अ/24-25/भवन/412 दिनांक: 29/08/2024

आपत्ति सूचना

श्रीमती कविता तोलानी पत्नी श्री गिरधारी लाल निवासी 1-क-45 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी झूलेलाल मंदिर के पास अजय नगर अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर एएमसी नं. 720 सी/26 का भाग है जो वाके सोमलपुर रोड अजयनगर, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 39.55 व.मी. है। भूमि के मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानसार हैं।

पूर्व - इसी ए.एम.सी न की अन्य भाग सम्पति श्री पारुमल की — पश्चिम - 60 फुट चौड़ा रोड

उत्तर - अन्य की सम्पति — दक्षिण - सम्पति का भाग दुकान गुरु प्रोपटी ईश्वरदास की है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला - भीलवाडा (राजस्थान)

भीलवाडा रोड रोडवेज बस स्टेण्ड के पास

E-Mail ID-combgbp@yahoo.in npbgulabpura@gmail.com Telephone No. 01483-223079

क्रमांक/न0पा0गु0/कृषि भूमि / 2024 /834-37 — आपत्ति आमंत्रण सूचना — दिनांक 6.9.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि भूमि नियमन के तहत पट्टे प्राप्त किए जाने के लिए निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए है जिसके निस्तारण किए जाने में किसी आम-खास/संस्था आदि को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में लिखित रूप से आपतिकर्ता मय अपने दस्तावेजो के इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपति दर्ज करवा सकते हैं। बाद मियाद आवेदक (अन्तिम क्रेता) के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

कृषि भूमि नियमन

क्र सं	रजिस्टर क्रमांक	दिनांक	नाम आवेदक	खसरा नं.	भूखण्ड संख्या	साईज	क्षेत्रफल वर्गगज	इकरारनामा /रजिस्ट्री
1.	153	22.08.24	श्री चेतनदास पेशवानी पुत्र श्री चूहडमल पेशवानी	794/3	07	25×40	111.11	इकरारनामा

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका गुलाबपुरा

दूध डेयरी की गाड़ी से 80 हजार रुपए चोरी

अजमेर, (कासं)। सरस दूध डेयरी का दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी की केबिन का लॉक तोड़कर दीपक तथा लक्की गुर्जर नामक युवक 80 हजार रुपए चोरी करके ले गये। पीड़ित गाड़ी मालिक विज्ञान नगर निवासी दीपेंद्र की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रकाश चंद भाटी ने बताया कि विज्ञान नगर निवासी दीपेंद्र पुत्र लक्ष्मण ने शिकायत दी है कि दिनांक 1 सितंबर को खानपुरा स्थित दूध डेयरी में उसकी दुग्ध परिवहन गाड़ी खड़ी थी जिसकी केबिन में बने लॉकर के अंदर दूध सप्लाई से मिलने वाली रकम 80 हजार रुपए रखे हुए थे।

रात्रि के समय दीपक और लक्की गुर्जर ने उसकी केबिन का ताला तोड़ दिया और लॉकर को भी तोड़कर उसमें रखे पैसे निकाल लिए और लेकर चंपत हो गए। कल जब रुपए जमा करने के लिए उसने केबिन संभाली तो लॉकर टूटा मिला और रुपए भी गायब मिले। इस शिकायत पर पुलिस ने दीपक और लक्की गुर्जर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।

14.50 लाख की धोखाधड़ी

अजमेर, (कासं)। माइंस में पार्टनरशिप के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। 28 फरवरी 2022 से लेकर 30 मार्च 2022 के मध्य उन्हें कीर्ति वर्धन, सुभाष और हेमंत ने माइंस में पार्टनरशिप के तहत पार्टनर बनाने के नाम पर उनसे 14 लाख 50 हजार रुपए लिए थे, लेकिन न तो उन्होंने उन्हें माइंस में पार्टनरशिप दी और ना ही माइंस से होने वाले लाभों में उन्हें हिस्सेदार बनाया गया।

कांग्रेसियों ने सेवा कार्य कर मनाया पायलट का जन्मदिन

गौशाला में गायों को को गुड,हरा चारा खिला कर दीर्घायु की कामना की।

अजमेर, (कासं)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 47वां जन्म दिन शनिवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नारेली तीर्थ स्थित गौशाला में गौ पूजा कर गायों को गुड़ चारा अर्पित कर पायलट के दीर्घायु की कामना की। एनएसयूआई अजमेर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं तथा छात्र-छात्राओं ने रक्तदान कर सेवा का संकल्प लिया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के 47वें जन्म दिन शनिवार अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गौ सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। शहर भर में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजन कर पायलट का जन्मदिन सेवा कार्य कर मनाया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, प्रदेश सचिव रश्मि हिंगोरानी, रेनू मेघवंशी, सुनील लारा, महेंद्र सिंह रलावता, शिव प्रकाश गुर्जर, पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया, हाजी इंसाफ अली, प्रताप यादव, गिरधर तेजवानी, सौरभ बजाड, शिवकुमार बंसल, नरेश सत्यवाना, आरिफ हुसैन, श्याम प्रजापति राकेश शर्मा, निर्मल बेरवाल, राकेश धाबाई, कैलाश कोमल, दिनेश के शर्मा, अब्दुल फरहान, भगवान सिंह चौहान, सोनल मौर्य मीनाक्षी यादव, सुनील धानका, बीरम सिंह रावत, कपिल सारस्वत, नितिन जैन, मनीष सेठी, हमीद चीता, रेखा पींगोलिया, धर्मेंद्र नागवाल, मनीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एनएसयूआई रक्तदान शिविर का आयोजन:- एनएसयूआई के पदाधिकारी व रक्तदान शिविर के संयोजक हनीष मारोठिया एवं लक्की जैन ने बताया कि पीडित मानव की सेवा के लिए आयोजित रक्तदान शिविर में राजकीय जनाना चिकित्सालय अजमेर राजस्थान ब्लड बैंक एवं विद्यापति ब्लड बैंक की टीमों ने ब्लड संग्रहण किया। शिविर में 201 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में 1000 से अधिक छात्र-छात्राओं एवं युवाओं ने अपना ब्लड ग्रुप की जांच करवा कर भविष्य में आवश्यकता पडने पर लाइव रक्तदान करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन, शिव प्रकाश गुर्जर, द्रोपती कोली, सौरभ बजाड, शिवकुमार बंसल, सागर मीणा , चंदन सिंह, लक्ष्मी धौलखडिया, निर्मल बेरवाल, लक्ष्मी बुन्देल, मनीष सेठी, पवन, पायल सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रक्तदाताओं को पुरस्कृत किया।

कार्यालय प्रधानाचार्य पूसीबाई राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय

सरवाड, जिला-केकडी-305403

ggssssarwar@gmail.com Ph. 01496-230199

क्रमांक : प्रधानाचार्य/पू.बा.रा.बा.उ.मा.वि./सरवाड/ 94 दिनांक: 4.09.24

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्थानीय शाला के अनुपयोगी/नकारा सामान लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील, रद्दी, पंखे, बर्तन इत्यादि सामग्री की निलामी दिनांक 18.9.2024 को प्रातः 11.30 बजे रखी गई है। निलामी से संबंधित शर्त स्थानीय विद्यालय के सूचना पट्ट या spp पोर्टल पर कभी भी देखी जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति/फर्म /व्यापारी तय दिनांक को निलामी में शामिल हो सकते है।

निलामी स्थल :- विद्यालय भवन कुम्हार मोहल्ला स्थित पूसीबाई रा.बा.उ.मा.वि. spp पोर्टल NIB NO EED2425A0433

प्रधानाचार्य
पूसीबाई रा.बा.उ.मा.वि. सरवाड, (जिला-केकडी) राज.

कार्यालय नगरपालिका, पुष्कर जिला अजमेर, राजस्थान

क्रमांकं/नपा/भूमि/2024/1168 दिनांक-04-09-2024

उजरदारी सूचना

एतद्व द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा 69-ए पट्टा हेतु आवेदन पेश किया है। अतः आवेदक के बख्शीशशुदा/खरीदशुदा सम्पति हक हकूक एवं मालिकाना स्वामित्व संबंधी किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस में अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करें। आपत्ति समयावधि बाद प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगी तथा पालिका द्वारा नियमानुसार 69 ए पट्टे की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी, जिसके बाद में कोई आपत्ति/उजर मान्य नहीं होगा। भवन निर्माण स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र स	आवेदक का नाम मय पिता/पति	स्थान जहाँ सम्पत्ति स्थित है	चतुर्थी सीमा	क्षेत्रफल
1	श्रीमती शांति पाराशर पत्नि स्व. श्री कैलाश चंद काला	कबीर मंदिर के पास, बडी बस्ती पुष्कर	पूर्व- श्री शिवजी काला की सम्पत्ति पश्चिम- राव समाज मंदिर उत्तर- कृष्णा विलास फैक्ट्री दक्षिण- रास्ता व श्री गिरिराज पाराशर व श्री शिंदू पाराशर की सम्पति	296.00 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर

डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ से मारपीट व अभद्र व्यवहार को लेकर धरना दिया

बिजयनगर, (निसं)। शुक्रवार रात्रि को राजकीय उपजिला चिकित्सालय में डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के साथ हुई मारपीट व अभद्र व्यवहार को लेकर शनिवार को चिकित्सा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए चिकित्सालय परिसर में धरना दिया। चिकित्सा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात्रि को एम्बुलेंस में कार्यरत संविदाकर्मी शैलेंद्र सिंह के भाई को अंगूठे पर चोट लगने पर इलाज के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचा। ड्यूटी पर तैनात नर्सिंगकर्मी पुनीत पारीक ने महर्रम पट्टी करते हुए ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अरुण को दिखाने की बात कही, जिससे नाराज होकर शैलेंद्र सिंह ने गाली गलौच करते हुये मारपीट शुरू कर दी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी 15 से 18 लोगों को लेकर राजकीय चिकित्सालय पहुंचा। राजकीय उप जिला चिकित्सालय प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने देर रात पुलिस थाना पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई। शनिवार को बीती रात राजकीय उप जिला चिकित्सालय में हुई वारदात से आक्रोशित चिकित्सा कर्मियों ने चिकित्सा कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। शनिवार को मध्यान्ह पश्चात नायब तहसीलदार रामनरेश शर्मा, थानाधिकारी राजमल कुमावत ने धरने पर बैठे चिकित्सा कर्मियों से समझाइश की।

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राजस्थान

क्रमांक -न.प.बि/निर्माण स्वी./2024/2811 — आम सूचना — दिनांक : 5.9.2024

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि निम्नांकित मकान निर्माण हेतु निम्न भवन निर्माण पत्रावली प्राप्त हुई है, अगर किसी को आपति/उज्र हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे मय सबुत के अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपति प्रस्तुत कर सकते है, बाद मियाद, गुजरने पर कोई उज्र / आपति मान्य नहीं होगी।

भवन निर्माण

फाइल नं.	आवेदनकर्ता का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्ड का नाप	प्रयोजनार्थ
71	अमित पारख पुत्र अजीत सिंह पारख	सालासर दरबार सिटी नगर बिजयनगर ख.सं. 63/1 भू.सं. 36	153.285 SQ.MTR	आवासीय
72	अशोक कुमार नाबेडा पुत्र रूपसिंह नाबेडा	रिद्धी सिद्धी कॉलोनी बडा आसन ख.सं. 243/1 नया ख.सं. 654/243 भू.सं. 17	130.640 SQ.MTR	आवासीय
73	मधु जैन पत्नी नरेन्द्र कुमार जैन	बजरंग कॉलोनी बिजयनगर म्यू.नं. 10/1023 प्लाट नं. 39 (ए)	86.397 SQ.MTR	आवासीय
74	संतोष जैन पत्नी सुरेन्द्र जैन नितेश जैन पुत्र सुरेन्द्र जैन	सरोजकीर्ति नगर बरल द्वितीय ख.सं. 1015 भू.सं. 48 का दक्षिणी हिस्सा प्रा.नं. बी-48 व भू.सं. 49 का दक्षिणी-पूर्वी हिस्सा प्रा.नं. 49-सी	92.90 SQ.MTR	आवासीय
76	गीता पत्नी रमेशचन्द शर्मा	प्रतापनगर विस्तार बिजयनगर ख.सं. 150 से 153 भू.सं. सी -12	116.125 SQ.MTR	आवासीय

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका विजयनगर

NAME CHANGE

I, SAGAR KUMAR JENA is son of Army No. JC-773830L Rank:- SUB Name:- ROMESH CHANDRA JENA, Residing At Village & Post:- AREIKANA,Teh:- DHARAMSHALA, Dist:- JAJPUR, State:- ODISHA, Pin:- 755008 have change my DOB from 15/04/2001 to 10/03/2000 vide Affidavit No.BW 150797 Dated 06/09/2024 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, SASMITA JENA is Spouse of Army No. JC-773830L Rank:- SUB Name:- ROMESH CHANDRA JENA, Residing At Village & Post:- AREIKANA,Teh:- DHARAMSHALA, Dist:- JAJPUR, State:- ODISHA, Pin:- 755008 have change my DOB from 15/08/1980 to 01/06/1980 vide Affidavit No. BW 150796 Dated 06/09/2024 before Court campus Nasirabad

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/101882 DATE :-06-09-2024 रीट. बस्तीत कमा

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2024-25/6338 दिनांक: 06-09-2024

सार्वजनिक सूचना

श्री अशोक कुमार बाबेल पुत्र श्री जौहरी लाल बाबेल निवासी ब्यावर ने क्षेत्र नं. 3, मेवाडी बाजार म्यु. नं. 31 का भाग ग्राउण्ड फलोर दुकान क्षेत्रफल 54.33, वर्गगज जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जौहरी लाल व अन्य के नाम दर्ज है। रजि बख्शीश-नामा दिनांक 12.08.2024, व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कुमार पुत्र श्री जौहरी लाल नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर) पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध मे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर

गौवंश तस्करी में वांछित दो आरोपी गिरफ्तार

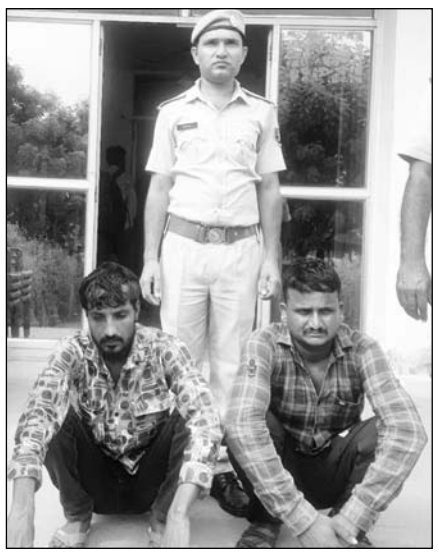

आरोपी बाबूलाल व शईद को गिरफ्तार किया।

ब्यावर, (निसं)। थानाधिकारी मसूदा गणपत राम उप निरीक्षक व टीम द्वारा गौवंश तस्करी में लिप्त वांछित आरोपी बाबूलाल बंजारा व शईद को गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की।

गौरतलब है की 30.अगस्त को रात्रि 08.30 बजे अभय कमाण्ड सेंटर अजमेर से सूचना मिली कि ग्राम कुशलपुरा मे गांव के कुछ लोग एक कंटेनर मे गाय व बछडो को अवैध रूप से भरकर कत्लखाने ले जा रहे है। जिस पर थाना मसूदा का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा।वहां देखा गया की एक गड्ढे मे कुछ गौवंश के पैर व मुंह बंधे हुए थे तथा एक दूसरे के नीचे दबने से 10 गौवंश की मृत्यू हो गई थी व कुछ बछडे गंभीर रूप से घायल हो रखे थे। मौके पर मौजूद लोगो ने बताया कि इन गौवंश को कत्लेखाना मे लेकर जाने के लिए कंटेनर नंबर एचआर 61 डी 6201 मे भरे जा रहे थे वर्तमान में कंटेनर किराप-जामोला सडक के बांयी तरफ गड्ढे में फंसा हुआ है। जिस पर कंटेनर के पास जाकर देखा तो कंटेनर क्षितग्रस्त होकर एक गड्ढा में फंसा हुआ था। वाहन कंटेनर चालक शईद व खलासी बाबूलाल बंजारा जिनके शरीर पर चोटे आने से दोनो को राजकीय चिकित्सालय मसूदा में प्राथमिक उपचार करवाया गया।

उपचार के बाद दोनो आरोपीयो को चिकित्सालय मसूदा से थाने ले जाते समय चलती गाडी से कूदकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। जिस पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। प्रकरण में लिप्त चार आरोपियो को पूर्व मे गिरफ्तार किये जा चुके है। उक्त मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया जाकर व असूचना संकलन कर व तकनीकी साक्ष्यो की मदद से आरोपियों को दस्ताबाब कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किये गये। दोनों आरोपियों मुल्तानपुरा पुलिस थाना वाईडी नगर जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश)निवासी सईद पुत्र मुस्ताक जाति मुसलमान उम्र 31 साल और थाना पारोली जिला शाहपुरा-निवासी बाबूलाल पुत्र मेंबर जाति बंजारा उम्र 29 साल से गहन पूछताछ ज़ारी है।पुलिस टीम में सुरेन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक, गणपत राम उप निरीक्षक,पांचूलाल सहायक उप निरीक्षक कांस्टेबल विकम, अशोक, खेमाराम आदि थे।

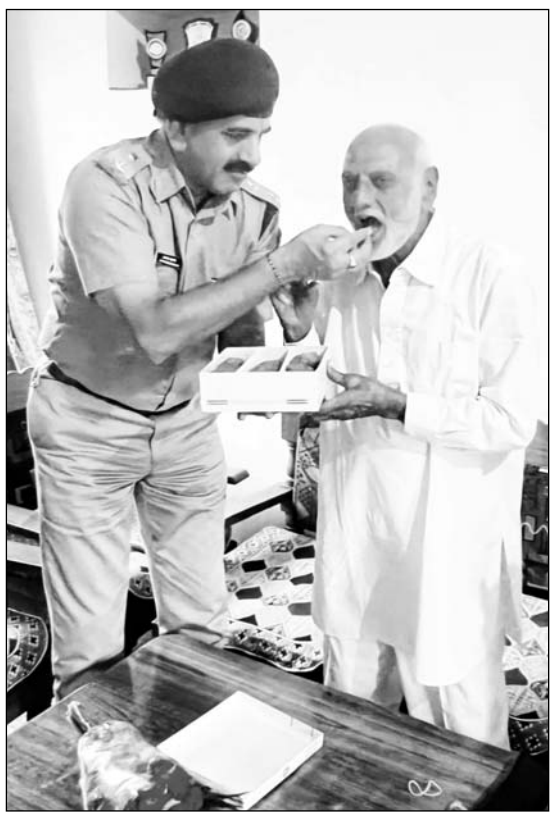

एसपी बनने के बाद भी देवेन्द्र कुमार बिश्नोई अपने स्कूली शिक्षक को आज भी नहीं भूले हैं। 1977 में केंद्रीय विद्यालय संख्या एक बीकानेर में पीटीआई रहे, किशनगढ़ में रह रहे मोहम्मद युसुफ से शिक्षक दिवस पर बिश्नोई ने पैर छूकर एवं उनका मुंह मिठा करवाकर उनका आशीर्वाद लिया और अपने स्कूल के दिनों को याद किया।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

सुभाष नगर शाखा, विनोद एजेंसी, प्रदीप पेट्रोल पम्प के सामने, अजमेर रोड़, सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311001
फोन: 01482-230557, ई-मेल: subbhi@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **स्व. श्री गणेश लाल बैरवा पुत्र श्री घीसू लाल बैरवा जरिये कानूनी वारिस श्रीमती सीता बाई पत्नी स्व. श्री गणेश लाल बैरवा एवं सह-ऋणी श्रीमती नन्दू देवी बैरवा पत्नी श्री घीसू लाल बैरवा** पर मांग सूचना **दिनांक 19.06.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 18.06.2024 को बकाया राशि रू. 13,80,321.47 (रूपये तेरह लाख अस्सी हजार तीन सौ इक्कीस एवं पैसे सैंतालीस मात्र) (दिनांक 16.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 18.06.2024 को बकाया राशि रू. 13,80,321.47 (रूपये तेरह लाख अस्सी हजार तीन सौ इक्कीस एवं पैसे सैंतालीस मात्र) (दिनांक 16.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष नगर शाखा, विनोद एजेंसी, प्रदीप पेट्रोल पम्प के सामने, अजमेर रोड़, सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311001** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्रीमती नन्दू देवी बैरवा पत्नी श्री घीसू लाल बैरवा के नाम आवासीय प्लॉट जो आराजी नं. 2580, शिव मंदिर के पास, कनवा खेड़ा, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान 311001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1349.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं-** उत्तर: सुकाति चाचा, दक्षिण: श्याम लाल सैन, पूर्व: लादू बैरवा, पश्चिम: रोड़ 30 फीट चौड़ी

दिनांक: 02.09.2024
स्थान: भीलवाड़ा

हस्ता.
मुख्य प्रबन्धक एवं प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

सुभाष नगर शाखा, विनोद एजेंसी, प्रदीप पेट्रोल पम्प के सामने अजमेर रोड़, सुभाष नगर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311001
फोन: 01482-230557, ई-मेल: subbhi@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **श्री यश राज खटीक पुत्र श्री भैरू लाल खटीक एवं सह-ऋणी श्रीमती सुमित्रा खटीक पत्नी श्री यश राज खटीक** पर मांग सूचना **दिनांक 19.06.2024** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 18.06.2024 को बकाया राशि रू. 20,78,612.50 (रूपये बीस लाख अठहतर हजार छह सौ बारह एवं पैसे पचास मात्र) (दिनांक 16.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 02, माह सितम्बर, वर्ष 2024** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया